National Journal of
Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177
NJHSR 2015; 1(1): 53-54
© 2015 NJHSR
www.sanskritarticle.com

डॉ. सरोज गुप्ता
एसोशिएट प्रोफेसर,
सत्यवती महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली

Correspondence:
डॉ. सरोज गुप्ता
एसोशिएट प्रोफेसर,
सत्यवती महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली

चाणक्य नीति

डॉ. सरोज गुप्ता

कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। चणक का पुत्र होने के कारण ये चाणक्य कहलाए तथा कुटिल बुद्धि होने के कारण कौटिल्य नाम से प्रसिद्ध हुए।

चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ही ग्रंथ लिखा। इसमें 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इन प्रकरणों को अध्यायों में विभाजित किया गया है। गद्य भागों के पश्चात् एक श्लोक दिया गया है जिसमें उस अंश का सारांश है। प्रथम अधिकरण में राजकुमारों की शिक्षा के विषय में तथा राज्य चलाने में उसे मंत्रियों तथा गुप्तचारों की सहायता लेनी ही पड़ेगी, इस विषय में बतलाया गया है। दूसरे में अधीक्षकों की चर्चा है क्योंकि उनके माध्यम से सारा शासन चलता है। तीसरे में कानून तथा चैथे में पुलिस द्वारा बदमाशों के दमन के बारे में बताया गया है। पाँचवें अधिकरण में राज्य के सात तत्त्वों और अन्तर्राज्य सम्बन्धों की चर्चा की गई है। छठे में शांति और उद्योग का वर्णन है। सातवें में षाड्गुण्य का वर्णन है। आठवें में राजा के दुर्गुण बताए गए हैं। 9-10 अध्याय युद्ध के बारे में हैं। 11वें बतलाया गया है कि शत्रु में फूट डालकर उसे किस प्रकार जीता जाए। 12वें में बतलाया गया है कि साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया जाए। 13वें में सेना से घिरे नगर को कब्जे में कर लेने के बारे में बताया गया है। 14वें में विष के बीभत्स प्रयोग के बारे में बतलाया गया है तथा 15वें और अंतिम अधिकरण में कार्य की योजना और चर्चा के दौरान उपयोग में लाए गए 32 सिद्धांतों का क्रमिक प्रतिपादन किया गया है। अन्त में समस्त जीवन दर्शन और व्यावहारिक ज्ञान से ओत-प्रोत 572 चाणक्य सूत्र हैं।

चाणक्य ने स्वयं लिखा है कि अर्थशास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें राज्य की प्राप्ति और उसके पालन के उपायों का वर्णन हो। कौटिल्य ने ऐसे समाज की कल्पना की जो सुखशान्तिमय, समृद्ध, नियंत्रित, मर्यादित, अनुशासित और सुव्यवस्थित हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का पालन करता हुआ सदाचार में प्रवृत्त रहे। अर्थशास्त्र का अटूट विश्वास है कि समस्त कार्य कोष पर निर्भर हैं, अतः उस पर ध्यान देना राजा का परम कर्त्तव्य है - **'कोषपूर्वाः सर्वारम्भाः तस्मात्पूर्वं कोषमवेक्षेत'**। इसीलिए उनके द्वारा स्थापित कर-व्यवस्था आज भी भारत में चल रही है।

चाणक्य की दण्ड व्यवस्था -

खनिभ्यो धातुपण्यादाने पट्छतमत्ययः।

खान से निकलने वाली धातुएं राष्ट्र की संपत्ति है। उन पर राष्ट्र का अधिकार होता है।

व्यक्तिगत रूप से उनको बेचना अथवा खरीदना असंवैधानिक है। ऐसे व्यक्ति के लिए 600 पण का दण्ड विहित है। अन्यत्र भी कहा गया है कि धातुओं की चोरी करने वाले को चोरी से 5 गुना अधिक दण्ड दिया जाता था परन्तु रत्नों चोरी करने वाले को प्राणदण्ड तक दिया जा सकता था।

पुष्पफलवाटेभ्यः पुष्पफलादाने चतुष्पंचाशत्पणो दण्डः।

फूल और फलों के बगीचे भी राष्ट्र की संपत्ति होते थे। उनमें उत्पन्न होने वाले फूल और फलों पर राष्ट्र का अधिकार होता था। अतः व्यक्तिगत लाभ के लिए यदि कोई वहाँ के फल-फूलों को बेचता अथवा खरीदता था तो वह अपनी इस अनधिकृत चेष्टा के लिए 54 पण दण्ड का भागीदार होता था।

षण्डेभ्यः शाकमूलकन्दादाने पादोनं द्विपंचाशत्पणः।

शाक भाजी के खेत भी राष्ट्र की संपत्ति होते थे बशर्ते उन पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार न हो। राष्ट्र के खेतों में उत्पन्न होने वाली शाक सब्जियों को बेचने का अधिकार भी राष्ट्र का ही था।

क्षेत्रेभ्यः सर्वसस्यादाने त्रिपंचाशत्पणः, पणोऽध्यर्धपणश्च सीतात्ययः।

खेतों में ही अनाज खरीदने बेचने पर 53 पण का दण्ड था जबकि अनाज को खेत से ही खरीदने बेचने पर क्रमशः एक पग और डेढ़ पण का दण्ड था।
यदि खेतिहर इस अनाज को राष्ट्रिय कोष में जमा न करवा कर खेत में से ही किसी को बेच देता था तो खेतिहर को दण्ड के रूप में एक पण तथा क्रेता को डेढ़ पग दण्ड के रूप में देना पड़ता था। परन्तु यदि खेतिहर खड़ी फसल को ही किसी व्यापारी को बेच देता था तो खेतिहर को तथा क्रेता दोनों को ही 53 पण दण्ड देना पड़ता था क्योंकि उसका यह कार्य पूर्ण रूप से असंवैधानिक तथा राष्ट्र के अहित में होता था।

अतो नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः।
पण्यानां स्थापयेच्छुल्कमत्ययं चापकारतः।।

प्रस्तुत अंश में बतलाया गया है कि राजा नई और पुरानी सभी वस्तुओं पर उनके स्थान अर्थात् वह कहाँ से बनी हुई है, स्थानीय हैं अथवा आयातित हैं, जाति अर्थात् उनके वर्गीकरण जैसे साबुन एक जाति के हैं, दालें एक जाति की हैं, अनाज एक जाति के हैं तथा उनके आचार अर्थात् उनकी उपादेयता को ध्यान में रखते हुए ‘शुल्क कर’ का निर्धारण करे और यदि कहीं से हानि, क्षय, अथवा नुकसान की संभावना हो तो उसके लिए उचित दण्ड की व्यवस्था भी करे।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चाणक्य की कर-व्यवस्था तथा दण्ड-व्यवस्था आज भी मुख्य रूप से हमारी अर्थव्यवस्था (Economy) का आधार-स्तम्भ बनकर हमारे संविधान में उपस्थित है, जिसका पूरा विश्व ऋणी रहेगा।